राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखंड अधिकारी, देसूरी (पाली)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

राजस्व वाद प्रकरण संख्या :– 04 / 2017

निर्णय दिनांक :– 25/2/2021

प्रार्थीगण :–

1. मोहनलाल पुत्र श्री कोलाजी, आयु–48 वर्ष,
2. जसाराम पुत्र श्री कोलाजी, आयु– 45 वर्ष
3. बाबूलाल पुत्र श्री कोलाजी, आयु– 42 वर्ष
4. मृतक नेनीया पुत्र वागा के वारिसान

    4.(अ) हसाराम पुत्र नेनीया

    1– जगदीश पुत्र हंसाराम, आयु– 40 वर्ष

    2– लकमाराम पुत्र हंसाराम, आयु– 38 वर्ष

    3– भंवरलाल पुत्र हंसाराम, आयु– 35 वर्ष

    4– मोहनी पुत्री हंसाराम, आयु– 51 वर्ष

    4.(ब)– गंगाराम पुत्र नेनीया आयु– 55 वर्ष

    4.(स)– हीराराम पुत्र नेनीया, आयु– 51 वर्ष
5. मृतक देवा पुत्र मूलीया के वारिसान

    (अ)– भगवानलाल पुत्र देवाजी, आयु– 40 वर्ष

    (ब)– गंगा बाई पत्नी देवाजी, आयु– 68 वर्ष

    (स)– मोहनी पुत्री देवाजी, आयु– 45 वर्ष
6. वेला पुत्र मुलीया, आयु– 60 वर्ष

    तमाम् जातिगण– कुम्हार, निवासीगण– सादडी, तहसील– देसूरी, जिला पाली(राज.)

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. मृतक पुखीया पुत्र समीया के वारिसान

    (अ)– कपुराराम पुत्र पुखीया, आयु– 52 वर्ष

    (ब)– बाबुलाल पुत्र पुखीया, आयु– 45 वर्ष

    (स)– धनकी पुत्री पुखीया, आयु – 72 वर्ष

    (द)– प्यारी पुत्री पुखीया, आयु– [illegible] वर्ष

    (य)– शांति पुत्री पुखीया, आयु– 55 वर्ष
2. मृतक पेमा पुत्र समीया के वारिसान

    (अ)– धीसूलाल पुत्र पेमा, आयु– 42 वर्ष

    (ब)– प्रकाश पुत्र पेमा, आयु– 38 वर्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:30 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 02 पर ....

(स)– चमनी पत्नी पेमा, आयु – 65 वर्ष
(द)– बगदी पुत्री पेमा, आयु– 42 वर्ष
(य)– मन्जु पुत्री पेमा, आयु – 32 वर्ष
(र)– भरत पुत्र पेमा, आयु– 22 वर्ष

3. राजा उर्फ रामा पुत्र समीया, आयु– 66 वर्ष
4. हिम्मता पुत्र समीया, आयु – 64 वर्ष
5. रूघनाथ पुत्र समीया, आयु– 64 वर्ष
6. मांगीलाल पुत्र समीया, आयु– 62 वर्ष

तमाम् जातिगण– कुम्हार, निवासीगण–सादडी, तहसील– देसूरी, जिला पाली (राज0)

वाद अन्तर्गत धारा –88, 89 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति:–

1. श्री हुकमसिंह सोलंकी अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री शंकरलाल मीणाअधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 25/2/2021

संक्षेप में प्रकरण हाजा के तथ्य इस प्रकार है कि – प्रार्थीगण की ओर से यह वाद अन्तर्गत धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मौजा ग्राम सादडी पटवारी हल्का सादडी–1 तहसील–देसूरी जिला–पाली में स्थित आराजी पुराने खसरा नम्बर 259 रकबा 6 बीघा 05 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम लगान रूपये 4.19 की खातेदारी मृतक वागा पुत्र खंगार कौम कुम्हार, सा.देह खातेदार के नाम से विद्यमान थी। मृतक वागा पुत्र खंगार की मृत्यु होने पर नामान्तरकरण संख्या 522 दिनांक 02.05.1970 के जरिये राजस्व रिकॉर्ड में मृतक वागा पुत्र खंगार के वारिसान नेनीया, कोलीया, मूलीया पिसरान वागा के नाम की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज की गई। जिनके वारिसान प्रार्थीगण है।

यह है कि मौजा सादडी चक –1 के पुराने खसरा नम्बर 259 रकबा 6 बिघा 5 बिस्वा की आराजी पर मृतक वागा पुत्र खंगार के जीवनकाल के दौरान मृतक वागा का कब्जा रहा एवं मृतक वागा की मृत्यु होने के बाद पुराने खसरा नम्बर 259 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा की आराजी पर मृतक नेनीया, कोलीया, मूलीया का कब्जा काश्त रहा है।

सेटलमेन्ट विभाग [illegible] नम्बर रकबा 06 बिघा 5 बिस्वा का मिलान क्षेत्रफल पुराने नक्शे के अनुरूप नये नक्शे में इन्द्राज कर बनाना था परन्तु सेटलमेन्ट विभाग के पुराने खसरा नम्बर 259 रकबा 06 बिघा 05 बिस्वा का

पेज लगातार 03 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:30 IST
Reason: SelfAttested

मिलान क्षेत्रफल पुराने नक्शे से नहीं बनाकर गलत बनाया व नया नक्शा भी पुराने नक्शे के अनुरूप नहीं बनाया व सेटलमेन्ट विभाग को पुराने नक्शे में इन्द्राज पुराने खसरा नम्बर 295 रकबा 6 बिघा 05 बिस्वा का इन्द्राज नये नक्शे में मृतक नेनीया, कोलीया, मूलीया जिस जमीन पर काबिज थे उसी अनुरूप पुराने नक्शे के नये नक्शे में इन्द्राज करना था व मृतक नेनीया, मृतक कोलीया पिता वागा, देवा, वेला पिता मूलीया के नाम पर सेटलमेन्ट विभाग ने नये खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.4500 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी तो सही दर्ज की है, परन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने मृतक नेनीय, मृतक कोलीया पिता वागा, देवा वेला पिता मूलीया के नाम नये खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी का इन्द्राज करने की बजाय गलत रूपेण खसरा नम्बर 1261 रकबा 0.2700 हेक्टर किस्म बारानी अव्वल की खातेदारी का इन्द्राज मात्र रिकॉर्ड में किया तो कतई गलत है एवं ऐसा गलत इन्द्राज करने का सेटलमेन्ट विभाग को कोई कानूनी अधिकार नहीं था।

यह है कि मौजा सादडी के पुराने खसरा नम्बर 259 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा के नये खसरा नम्बर पुराने नक्शे के मुताबिक सेटलमेन्ट विभाग को खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.4500 हैक्टर व खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हैक्टर बनाना था परन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने खसरा नम्बर 1267 का मिलान तो सही बनाया परन्तु नये खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर का मिलान क्षेत्रफल पुराने खसरा नम्बर 259/4 से बनना गलत बनाया है व गलत मिलान क्षेत्रफल बनाने का सेटलमेन्ट विभाग को कोई कानूनी अधिकार नहीं था जबकि मृतक वागा पुत्र खंगार के वारिसान मृतक नेनीया, मृतक कोलीया पिता वागा, देवा, वेला पिता मूलीया नये खसरा नम्बर 1267 रकबा 0.4500 हेक्टर व नये खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर कुल खसरा नम्बर 2 कुल रकबा 0.8500 हेक्टर की जमीन पर काबिज है एवं नये खसरा नम्बर 1267 व 1268 की जमीन पर मृतक वागा पुत्र खंगार के वारिसान मृतक नेनीया, मृतक कोलीया पिता वागा, देवा, वेला पिता मूलीया का कब्जा काश्त मृतक वागा के समय से चला आ रहा है एवं वर्तमान में नये खसरा नम्बर 1267 व 1268 की जमीन पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का है परन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने गलत मिलान क्षेत्रफल बनाकर व पुराने इन्द्राज के मुताबिक नया इन्द्राज न करके नये खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हैक्टर की जमीन [illegible] मृतक नेनीया, मृतक कोलीया पिता वागा, देवा, वेला, पिता मूलीया [illegible] की भूल व गलती से नये खसरा नम्बर 1268 [illegible] की जमीन का इन्द्राज मात्र राजस्व रिकॉर्ड में पुखीया, पेमा, राजा उर्फ रामा, हिम[illegible] मागीलाल, रूघनाथ पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:30 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 04 पर...

समीया के नाम पर कर दिया जबकि नये खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हैक्टर की जमीन पुराने खसरा नम्बर 259 रकबा 6 बिघा 5 बिस्वा का भाग है। फिर भी सेटलमेन्ट वालों ने गलत मिलान क्षेत्रफल बनाया है जो पुराने नक्शे व नये नक्शे मे मिलान से स्पष्ट है, प्रमाण स्वरूप पुराना नक्शा व नया नक्शा की प्रमाणित प्रतिलिपि व जमाबंदी खतौनी सवंत् 2070 से 2073 खाता संख्या 437, 479 की प्रमाणित प्रतिलिपि व मिलान क्षेत्रफल की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद-पत्र के साथ संलग्न प्रस्तुत की है।

यह है कि वादग्रस्त आराजी नये खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हैक्टर की आराजी पुराने खसरा नम्बर 259 रकबा 6 बिघा 5 बिस्वा का भाग है एवं उक्त जमीन पर मृतक वागा पुत्र खंगार के समय से आज दिन तक प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा काश्त चाला आ रहा है। मौके पर प्रार्थीगण को पुश्तैनी कब्जा काश्त है एवं नये खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर की जमीन पर कभी भी पुखीया, पेमा, राजा उर्फ रामा, हिम्मत, मांगीलाल, रूघनाथ पिता समीया का कब्जा काश्त नहीं रहा एवं नये खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर की जमीन पर अप्रार्थीगण संख्या 01 से लगाय 06 की भी कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा परन्तु सेटलमेन्ट विभाग ने नये खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर की जमीन का मिलान क्षेत्रफल पुराने खसरा नम्बर 259/4 से बनना गलत बताया है व पुराने खसरा नम्बर 259 रकबा 6 बिघा 5 बिस्वा की जमीन का इन्द्राज पुराने इन्द्राज के मुताबिक नये नक्शे में इन्द्राज न कर कानूनी भूल की है व सेटलमेन्ट विभाग ने पुखीया, पेमा, राजा उर्फ रामा, हिम्मत, मांगीलाल, रूघनाथ पिता समीया का नहीं रहा एवं न ही अप्रार्थीगण का विवादग्रस्त आराजी पर कब्जा रहा। मात्र राजस्व रिकॉर्ड में सेटलमेन्ट विभाग की गलती व भूल से पुखीया, पेमा, राजा उर्फ रामा, हिम्मत, मांगीलाल, रूघनाथ पिता समीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज हुआ एवं ऐसा इन्द्राज शुन्य है एवं प्रार्थीगण का विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर की जमीन पर मृतक वागा पुत्र खंगार के जीवनकाल से आज दिन तक लगातार अप्रार्थीगण की जानकारी में प्रार्थीगण का पुश्तैनी कब्जा चला आ रहा है जिससे प्रार्थीगण का विवादग्रस्त आराजी पर एडवर्स पजेशन भी हो चुका है एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण द्वारा अपना नाम विवादग्रस्त आराजी मे से हटाने [illegible] परन्तु अप्रार्थीगण आज कल बताकर टालमटोली कर रहे है एवं अप्रार्थीगण [illegible] रिकार्ड में से अपना नाम नही निकाल रहे है एवं जमीन को [illegible] है एवं जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा है व अप्रार्थीगण अन्यत्र व्यक्ति को विवादग्रस्त आराजी मे राजस्व रेकर्ड में गलत नाम आने का फायदा उठाकर जमीन अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:30 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 05 पर...

आमादा है। इस प्रकार की ऐलानियां धमकिया पिछले 10–15 रोज से दे रहे है जिससे प्रार्थीगण उक्त वाद विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हैक्टर की जमीन में से अप्रार्थीगण का नाम हटाया जाकर प्रार्थीगण की खातेदारी की घोषणा हेतु यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पेश किया है व पुराने नक्शे के अनुरूप पुराना इन्द्राज के अनुरूप नया इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में करने हेतु व सेटलमेन्ट विभाग की भूल को सुधार करने हेतु यह धारा 136 राज. भू–राजस्व अधिनियम के तहत भी पेश किया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता के ठोस एवं पर्याप्त आधार व आसार है।

यह है कि प्रार्थीगण का विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर की जमीन पर मृतक वागा के पुत्र खंगार के जीवनकाल में आज दिन तक लगातार अप्रार्थीगण की जानकारी में लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिससे प्रार्थीगण का विवादग्रस्त आराजी पर एडवर्स पजेशन भी हो चुका है एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण द्वारा अपना नाम विवादग्रस्त आराजी में से हटाने का कई बार कहा परन्तु अप्रार्थीगण आज कल बताकर टालमटोली कर रहे है एवं अप्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में से अपना नाम नहीं निकाल रहे है। एवं जमीन को खुद–बुर्द करने पर आमादा है एवं जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा है व अप्रार्थीगण अन्यत्र हस्तान्तरण करने पर आमदा है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूलवाद के निर्णय में लम्बा समय लगेगा जबकि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की पुश्तैनी पुरानी खातेदारी भूमि नये खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर की जमीन पुराने खसरा नम्बर 259 रकबा 6 बिघा 5 बिस्वा का भाग है एवं विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर में सेटलमेन्ट विभाग की भूल व गलती से मात्र राजस्व रिकॉर्ड में पुखीया, पेमा, राजा ,हिम्मत, मांगीलाल, रूघनाथ पिता समीया का नाम आ जाने से अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने पर आमादा है एवं जबरन अतिक्रमण करने पर आमादा है। जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना निशान्त आवश्यक है कि वो प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त सुदा आराजी से वंचित हो जोयेंगे एवं अप्रार्थीगण अपने राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम आने का फायदा उठाकर विवादग्रस्त आराजी पर जबरदस्ती अतिक्रमण करने पर आमादा है एवं विवादग्रस्त आराजी को राजस्व रिकॉर्ड का गलत नाम का फायदा उठाने की नियत से जमीन को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना नितान्त आवश्यक आमादा है कि वो प्रार्थीगण के कब्जा व काश्त किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी नहीं करे व जमीन को खुर्द–बुर्द नहीं करे अन्यथा प्रार्थीगण अपनी पुश्तैनी खातेदारी

पेज लगातार 06 पर...

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:30 IST
Reason: SelfAttested

की कब्जा व काश्त सुदा आराजी से वंचित हो जायेगें एवं प्रार्थीगण के हक व अधिकारों पर कुठाराघात होगा एवं प्रार्थीगण को अकथनीय क्षति होगी जिसका कोई मुल्यांकन का आंकलन नहीं होगा और प्रार्थीगण के हक व अधिकारों का हनन होगा एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मूलवाद का मकसद भी समाप्त हो जायेगा जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निर्णय तक रोका जाना नितान्त आवश्यक व न्यायसंगत है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे एवं मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्व इस अमरकी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि वादग्रस्त आराजियात मौजा सरहद गावं सादडी चक प्रथम तहसील देसूरी में स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हैक्टर की जमीन में प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व उपभोग में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई दखलन्दाजी, रोक–टोक नहीं करे व जमीन को खुर्द–बुर्द नहीं करे एवं जमीन को अन्यत्र हस्तान्तरण नहीं करे एवं रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति बनाये रखने आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1(अ) से (य) एवं 2(स) से (र) बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1(अ) (ब), 3, 5 की ओर से अधिवक्ता शंकरलाल मीणा एवं अप्रार्थी 4 व 6 की ओर से अधिवक्ता मनोहरसिंह शेखावत ने वकालत नामा पेश किया।

अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त वाद प्रार्थीगण ने मनगढंत मिथ्या कथनों के आधार पर प्रस्तुत किया है पद संख्या 2 से 5 जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। हाल खसरा नम्बर 1268 क्षेत्रफल 0.4000 हेक्टर कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 259/4 मी. क्षेत्रफल 2/1 सवा दो बीघा से बने है एवं उक्त कृषि भूमि अप्रार्थीगण की पुश्तैनी कब्जासुदा खातेदारी की होन से भू–प्रबंधन विभाग ने सही तौर से इन्द्राजों को भू–अभिलेखाकारों ने दोहराया है। प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 1268 क्षेत्रफल 0.4000 क्षेत्रफल के सबंध में तथ्यों के विपरीत प्रार्थना पत्र एव संबधित वाद प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:30 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1268 क्षेत्रफल 0.4000 हेक्टर के सबंध में भू–प्रबन्ध विभाग ने सही तौर पर रिकॉर्ड तैयार किया है। मिलान क्षेत्रफल गलत होने के कोई आधार अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में [illegible] किये है एवं न ही कोई दस्तावेज साक्ष्य पेश किये है। प्रार्थीगण ने तथाकथित कस्बा सादडी चक एक के गत खसरा नम्बर 259 क्षेत्रफल 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि होना उल्लेखित किया है। जिसका हैक्टेयर प्रणाली के अनुसार क्षेत्रफल एव हैक्टर होता है, जबकि प्रार्थीगण ने

पेज लगातार 07 पर...

मात्र 0.7200 हेक्टर (खसरा नम्बर 1267 व 1268) के खसरों की भूमि गत खसरा नम्बर 259 क्षेत्रफल 6 बीघा 5 बिस्वा समकक्ष 1 हेक्टर की भूमि के संबंध में असमंजस में है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में कही पर भी यह उल्लेखित नहीं किया है कि गत खसरा नम्बर 259/4 मी क्षेत्रफल 2 बीघा 5 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर एवं क्षेत्रफल नहीं दर्शाये गये है। इस प्रकार क्षेत्रफल प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं वाद स्पष्ट एवं स्वच्छ हाथो से पेश नहीं होने से भी खारिज होने योग्य है।

भू-प्रबंध विभाग का रिकॉर्ड को प्रभाव में आये तीन दशक से ज्यादा की अवधि के बाद मात्र बदनियति की वजह से उक्त प्रार्थना पत्र एवं वाद प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व रिकॉर्ड के सरसरी अवलोकन एवं कब्जा के अभाव में पोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

प्रार्थीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर प्रार्थीगण तथाकथित आदेश की ओट में वादग्रस्त कृषि भूमि नाजायज कब्जा करने की चेष्टा करेंगे जिससे वाद बाहुल्यता पैदा होगी जिस कारण अप्रार्थीगण को विधिक एवं वास्तविक स्थिति के अनुसार अपूर्णीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा जबकि अस्थायी निषेधाज्ञा का आवेदन खारिज किये जाने की स्थिति में प्रार्थीगण को विधिक एवं वास्तविक तोर से कोई क्षति होने वाली नहीं है। इस प्रकार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र राजस्व रिकॉर्ड के सरसरी अवलोकन एवं कब्जा के अभाव में पोषणीय नहीं होने से भी प्रार्थना पत्र काबिल खारिज है।

अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का जवाब अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

वकुलाय की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत निम्न बिन्दुओं पर विचारण किया गया :-

1. **प्रथम दृष्टया मामला :-** वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहर में मनन किया कि नये खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर की जमीन पुराने खसरा नम्बर 259 रकबा 6 विघा 5 बिस्वा का भाग है व नये खसरा नम्बर 1268 पुराने खसरा नम्बर 259/4 का भाग नहीं है। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य, अधिकार अभिलेख जमाबंदी अनुसार [illegible] खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर अप्रार्थीगण की [illegible] प्रथम दृष्टया साबित होता है। तथा प्रार्थीगण द्वारा मिलान क्षेत्रफल गलत होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है। जिससे वादग्रस्त आराजियात मे विधिक रूप से प्रार्थीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:30 IST
Reason: SelfAttested

पेज लगातार 08 पर...

किसी प्रकार के कोई हक अधिकार निहित हो प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता है एवं जहां तक प्रार्थीगण का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त होने का तथ्य है उस संबंध मे भी प्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये। जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

2. **सुविधा का संतुलन** :– अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत सुविधा का सतुलन बिन्दु पर विचार किया गया। खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर अप्रार्थीगण की रिकॉर्डेड खातेदारी है तथा भू– प्रबंध विभाग का रिकॉर्ड को प्रभाव में आये काफी अवधि हो चुकी है। अत: उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण की अपेक्षा अप्रार्थीगण के ज्यादा असुविधा होगी। जिससे उक्त बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होता है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। प्रार्थीगण ने अपनी बहस में मनन किया कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर में सेटलमेन्ट विभाग की भूल व गलती से मात्र राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थीगण का नाम आ जाने से गलत फायदा उठाकर विवादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है। जिससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। इस संबंध में अप्रार्थीगा के अधिवक्ता ने कथन किया कि सेटलमेन्ट विभाग की कार्यवाही हुय तीन दशक की अवधि के बाद मात्र बदनियति की वजह से पेश किया है। बिना खातेदारी या बिना किसी हक अधिकार एव बिना आधिपत्य कब्जा के कानूनन हरब धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी प्रकार से कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही किया जा सकता है।

अपूरणीय क्षति पर न्यायालय द्वारा विचार किया गया। अप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर के रिकॉर्डेड खातेदार है। यदि उक्त वादग्रस्त आराजी के संबंध में अप्रार्थीगण जो कि रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थीगण को विधिक एव वास्तविक स्थिति के अनुसार अपूरणीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं होगा तथा प्रार्थीगण को कोई ऐसी क्षति नहीं होगी जिसका कोई मूल्याकन का आकलन नहीं हो सके। अत: अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:30 IST
Reason: SelfAttested

अस्थाई नि[illegible] तीनों बिन्दुओ प्रार्थी के पक्ष में साबित नहीं होने से न्यायालय [illegible] प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतित होता है। अतएव

पेज लगातार 09 पर...

क्रमश (9) न्यायालय सहायक कलेक्टर एवम् उपखण्ड अधिकारी, देसूरी राजस्व विविध नम्बर 04/2017 अनवान मोहनलाल व अन्य बनाम मृतक पुखीया के का.मु. कपुराराम व अन्य अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम..

–: आदेश :–

अतः प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजियात मौजा सरहद ग्राम सादडी पटवार हल्का सादडी–1 तहसील–देसूरी, जिला–पाली के स्थित आराजी नये खसरा नम्बर 1268 रकबा 0.4000 हेक्टर जमीन के संबंधमें प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलक्टर
देसूरी

निर्णय आज दिनांक 25/2/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
देसूरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.11 15:24:30 IST
Reason: SelfAttested